

जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लोहरदगा

पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या 10/2010-11


1. विज्ञापन दाता का नाम : जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लोहरदगा
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि : दिनांक 23.03.2011 से 27.03.2011 तक  
(कार्यालय दिवस एवं कार्यालय अवधि में)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 28.03.2011 को 3.00 बजे अपराह्न तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 28.03.2011 को 3.30 बजे अपराह्न में
5. परिमाण विपत्र बिक्री की स्थान : जिला अभियन्ता का कार्यालय, जिला परिषद, लोहरदगा।
6. निविदा प्राप्त करने / खोलने का स्थान : जिला अभियन्ता का कार्यालय, (विकास भवन) लोहरदगा।
7. कार्य का विवरण : (Integrated Action Plan)


| योजना का नाम                                  | प्रखण्ड | प्राक्कलित राशि (राशि लाख में) | परिमाण विपत्र की राशि | अग्रधन की राशि | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 2   | 3       | 4                              | 5                     | 6              | 7                     |
| ग्राम उपर तुरियाडीह में सामुदायिक भवन निर्माण | पेशरार  | 10.290                         | 2500.00               | 20580.00       | जून 2011              |
| ग्राम रोरद में सामुदायिक भवन निर्माण          | पेशरार  | 10.290                         | 2500.00               | 20580.00       | जून 2011              |
| ग्राम पेशरार में सामुदायिक भवन निर्माण        | पेशरार  | 10.290                         | 2500.00               | 20580.00       | जून 2011              |
| ग्राम पुतरार में सामुदायिक भवन निर्माण        | पेशरार  | 10.290                         | 2500.00               | 20580.00       | जून 2011              |
| ग्राम केरार में सामुदायिक भवन निर्माण         | पेशरार  | 10.290                         | 2500.00               | 20580.00       | जून 2011              |

निविदा की शर्त जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लोहरदगा के कार्यालय के सूचना पट्ट एवं जिले के वेबसाईट lohardaga.nic.in पर देखी जा सकती है।

ज्ञापांक :- <sup>191</sup>~~191~~ / जि0प0, दिनांक :- 22/3/11

प्रतिलिपि :- संवाददाता, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, सनमार्ग को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।


  
जिला अभियन्ता,  
जिला परिषद, लोहरदगा।

  
जिला अभियन्ता,  
जिला परिषद, लोहरदगा।

## नियम एवं शर्त :-

1. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र में अंकित अग्रधन की राशि 2% राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 6/8वें निर्गम या 3/5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक, जो जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लोहरदगा के नाम से प्रतिज्ञित (Pledged) हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ पथ निर्माण विभाग (सड़क)/ भवन निर्माण विभाग/ जलसंसाधन विभाग में पंजीकृत समुचित श्रेणी के संवेदक निविदा में भाग ले सकते हैं।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जो लौटाया नहीं जायेगा। बैंक ड्रॉफ्ट जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लोहरदगा के पदनाम से देय होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक के लोहरदगा शाखा में भुगतये होगा।
4. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि अपने खर्च पर स्थल का अवलोकन कर स्थिति की समीक्षा कर ली जाय।
5. वरीयता के आधार पर स्थानीयक संवेदक को कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
7. निविदा प्रपत्र में सिन्निहित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
8. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सामग्रियों (सीमेन्ट, लोहा इत्यादि) एवं यांत्रिक उपकरण (मिक्सचर मशीन, भाईब्रेटर इत्यादि) मुहैया नहीं करायी जायेगी।
9. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन के बिना विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही संवेदक को भुगतान किया जा सकेगा।
12. निविदा के साथ पैन कार्ड, बिक्री कर, स्वच्छता प्रमाण-पत्र, निबंधन पहचान पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं लेबर लाईसेन्स इत्यादि पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. परिमाण विपत्र खरीदते समय निविदाकारों को निबंधन पत्र, पैन कार्ड, अद्यतन बिक्री चुकता प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति से संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
14. सामान्यतः इन कार्यों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी एवं एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
15. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
16. उपरोक्त कार्य जमा शीर्ष के अन्तर्गत है अतः अनुसूचित दर से अधिक निविदा मान्य नहीं होगी।
17. निविदा दाताओं को संबंधित कार्य का एक समबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगी।
18. कार्य आवंटन के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एफ0टू0 (F2) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

19. एकरारनामा के समय एकरारित राशि की 3% राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र 6/8वें निर्गम 3/5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर पास बुक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारन्टी जिसकी न्यूनतम वैधता दो वर्ष हो, जो जिला अभियन्ता, जिला परिषद, लोहरदगा के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त हो लिया जायेगा। शेष 5प्र चलता लेखा विपत्र से काटा जायेगा।
20. प्राक्कलन की राशि घट बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि परिवर्तन हो सकता है।
21. संवेदक द्वारा निविदत राशि 15% से कम दर पर दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।
22. कार्य आंवटित होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्यारम्भ कर देना होगा। अन्यथा निविदा को रद्द कर कार्य द्वितीय न्यूनतम निविदादात को आंवटित कर दिया जायेगा।
23. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करें या सूचना पट्ट देखें।

  
जिला अभियन्ता,  
जिला परिषद, लोहरदगा।

ज्ञापांक :- 191...../जि0प0, दिनांक :- 22/3/11

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा/ उप विकास आयुक्त, लोहरदगा/ जिला योजना पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिला अभियन्ता,  
जिला परिषद, लोहरदगा।

ज्ञापांक :- 191...../जि0प0, दिनांक :- 22/3/11

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्तम निविदा आमंत्रण सूचना को **Lohardaga.NIC.in** पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

  
जिला अभियन्ता,  
जिला परिषद, लोहरदगा।